संख्या–383/सत्तर–4–2015–46(74)/2009

प्रेषक,

डा0 अश्वनी कुमार गोयल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 273 /रा0उ0शि0
दिनांक 8-4-15

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
4. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
5. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 26 मार्च, 2015

विषयः– प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में 05 विश्वविद्यालयो में सेमिनार आयोजित किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार रु0 7,15,000/– (रु0 सात लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि को कोषागार से आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबादः–

क0	सेमिनार का शीर्षक/विभाग	सेमिनार का स्तर	संस्तुत धनराशि (रू0 लाख में)
1.	Research Strategies in Education	राष्ट्रीय	1.45

2– डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊः–

क0	सेमिनार का शीर्षक/विभाग	सेमिनार का स्तर	संस्तुत धनराशि (रू0 लाख में)
1.	Library Automation and Development of Digital Library Through KOHA and DSpace OSs	राष्ट्रीय	1.45

3– सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसीः–

क0	सेमिनार का शीर्षक/विभाग	सेमिनार का स्तर	संस्तुत धनराशि (रू0 लाख में)
1.	नक्सलवाद की नई चुनौतियां : दशा एवं दिशा	राष्ट्रीय	1.40

4– महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसीः–

क0	सेमिनार का शीर्षक/विभाग	सेमिनार का स्तर	संस्तुत धनराशि (रू0 लाख में)
1.	अपवंचित वर्गों की शिक्षा : समस्या एवं समाधान	राष्ट्रीय	1.45

5– ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊः–

क0	सेमिनार का शीर्षक/विभाग	सेमिनार का स्तर	संस्तुत धनराशि (रू0 लाख में)
1.	Inclusive Growth of Minority Women through ICT	राष्ट्रीय	1.40

2– उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल पर सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेगें। स्वीकृत अनुदान का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय–16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

3– उपरोक्त स्वीकृत अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा कार्यालय महालेखाकर को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे तत्काल समर्पित कर दिया जायेगा। सेमिनार सम्पन्न होने के पश्चात कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि सेमिनार आयोजित होने की पुष्टि करते हुए धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4– सेमिनार के आयोजन में बाहर से रिसोर्स परसन/विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। यात्रा भत्ता तथा अन्य मदवार व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के व्यय में राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियम लागू होंगे।

5– सेमिनार के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या–298/सत्तर–4– 2010–46(74)/2009, दिनांक 03 फरवरी, 2010 द्वारा निर्गत किये गये हैं। सेमिनार के आयोजन में इन दिशा–निर्देशों पर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सेमिनार आयोजित करने की तिथि से शासन को भी अवगत कराया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– अनुमन्य धनराशि का 30 प्रतिशत रिसोर्स परसन के यात्रा भत्ता एवं पेपर प्रजेण्टेशन हेतु, प्री–कान्फ्रेन्स प्रिन्टिंग हेतु 15 प्रतिशत, प्रोसिडिंग की प्रिटिंग हेतु 20 प्रतिशत बोर्डिंग एवं लाजिंग हेतु 25 प्रतिशत तथा कांटीजेन्सी मद में 10 प्रतिशत धनराशि व्यय की जायेगी।

7– उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–14–प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11/401/दस–2015, दिनांक 25 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अश्वनी कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव।

संख्या–383 (1)/सत्तर–4–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उत्तर प्रदेश शासन।
5. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा को वेब साईट पर अपलोड हेतु।
6. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
7. संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित कोषाधिकारी।
9. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।